

अनुदान संख्या 79 - भू-संसाधन विभाग
GRANT No. 79-DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)					
राजस्व:	Revenue:				
स्वीकृत-	Voted-				
मूल	Original	1503,78,00	1503,79,00	1405,63,02	-98,15,98
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				100,15,09

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान में, अभ्यर्पित राशि (10015.09 लाख रु.) 9815.98 लाख रु. की कुल बचत से अधिक हो गई।

1. In the grant, the amount surrendered (Rs.10015.09 lakhs) exceeded the overall savings of Rs.9815.98 lakhs.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2501" ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	Major Head "2501" Special Programmes for Rural Development				
मू.	O.	121955.00	121180.87	121429.74	+248.87
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-775.13			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	14135.00	0.07	..	-0.07
पु.	R.	-14134.93			

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Head Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	13660.00	18521.79	18509.77
पु.	R.	4861.79		
(I)	18785.00 लाख रु. का प्रावधान आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 18585.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-		(I)	Provision of Rs.18785.00 lakhs remained wholly unutilised under eight heads; of these Rs.18585.00 lakhs accounted for under the following major heads:-
(का)	मुख्य शीर्ष "2501" - "बंजर भूमि विकास - अन्य व्यय - जैव ईंधन स्कीम" के अंतर्गत 4500.00 लाख रु. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।		(A)	Major Head "2501" - "Waste Land Development - Other Expenditure - Bio Fuels Scheme" - Rs.4500.00 lakhs - due to non-approval of scheme by Cabinet Committee on Economic Affairs.
(खा)	मुख्य शीर्ष "2552" -		(B)	Major Head "2552" -
(क)	"बंजर भूमि विकास - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास - एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम" - 11245.00 लाख रु.;		(a)	"Waste Land Development - National Waste Land Development - Integrated Watershed Management Programme" - Rs.11245.00 lakhs;
(ख)	"बंजर भूमि विकास - अन्य व्यय" -		(b)	"Waste Land Development - Other Expenditure" -
(i)	"जैव ईंधन स्कीम" - 500.00 लाख रु.;		(i)	"Bio Fuels Scheme" - Rs.500.00 lakhs;
(ii)	"व्यावसायिक सहायता और अन्य क्रियाकलाप" - 990.00 लाख रु.; और		(ii)	"Professional Support and Other Activities"- Rs.990.00 lakhs; and
(ग)	"भूमि सुधार - अन्य व्यय - राष्ट्रीय व्यापक भू-संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम" - 1350.00 लाख रु.।		(c)	"Land Reforms - Other Expenditure - National Programme for Comprehensive Land Resource Management" - Rs.1350.00 lakhs.

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के और क्षेत्रा राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2501" - "बंजर भूमि विकास" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड" - 212.25 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "अन्य व्यय - व्यावसायिक सहायता और अन्य क्रियाकलाप" - 5490.56 लाख रु. की बचत (8310.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती किए जाने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (9276.07 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2501" - "बंजर भूमि विकास - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम - एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम" के अंतर्गत मार्च, 2008 में 1.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 9676.55 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:-

(का) "भूमि सुधार - अन्य अनुदान - राष्ट्रीय व्यापक भू-संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम" - 1346.72 लाख रु. का अधिक व्यय (12900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) "बंजर भूमि विकास - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम - एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम" - 3456.92

Provisions under the above four heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2501" - "Waste Land Development" - savings occurred under the following heads:-

(A) "National Waste Land Development Programme - National Waste Land Development Board" - saving of Rs.212.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs); and

(B) "Other Expenditure - Professional Support and Other Activities" - saving of Rs.5490.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8310.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage owing to receipt of less viable proposals.

2.(I) The above savings were partly (Rs.9276.07 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2008 under Major Head "2501" - "Waste Land Development - National Waste Land Development Programme - Integrated Watershed Management Programme". Actual excess, however, was Rs.9676.55 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" - "Grants for Central Plan Schemes" - under the following heads: -

(A) "Land Reforms - Other Grants - National Programme for Comprehensive Land Resource Management" - excess of Rs.1346.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12900.00 lakhs);

(B) "Waste Land Development - National Waste Land Development Programme -

लाख रु. का अधिक व्यय (10.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(गा) “बंजर भूमि विकास - अन्य अनुदान - व्यावसायिक सहायता और अन्य क्रियाकलाप” - 196.13 लाख रु. का अधिक व्यय (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Integrated Watershed Management Programme” – excess of Rs.3456.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10.00 lakhs); and

(C) “Waste Land Development – Other Grants – Professional Support and Other Activities” – excess of Rs.196.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.